

सूचना के अधिकार के अंतर्गत आवेदन की प्रक्रिया

1. जन-सूचना अधिकारी को सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आवेदन भेजने के लिए कोई निर्धारित प्रोफॉर्मा नहीं है। आवेदन सादे कागज पर भेजे जा सकते हैं।
2. जन-सूचना अधिकारियों के विवरण के लिए कृपया यहां क्लिक करें।
3. आवेदन के साथ 10/- रुपए मात्र का आवेदन-शुल्क बैंक के चैक/ डिमांड ड्राफ्ट/ पोस्टल ऑर्डर के रूप में अथवा व्यक्तिगत रूप से नकद जमा कर भेजा जाए।
4. बैंक के चैक/ डिमांड ड्राफ्ट/ पोस्टल ऑर्डर वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पक्ष में भेजे जाएं।
5. संबंधित जन-सूचना अधिकारी द्वारा दस्तावेज के खर्च के लिए आवश्यक शुल्क का भुगतान किए जाने पर, यदि कोई हो तो आवेदन प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर अथवा उससे पहले उत्तर भेजा जाएगा।
6. भेजने के लिए सूचना तैयार होने के बाद, आवेदक को मांगे गए दस्तावेज की फोटो कॉपी की लागत का भुगतान करने के लिए सूचित किया जाएगा जैसाकि सूचना के अधिकार नियमों में निर्धारित किया गया है।
7. यदि आवेदक रिकार्ड्स का निरीक्षण करना चाहता है तो उन्हें इसके लिए अपने आवेदन में विशेष उल्लेख करना चाहिए जिससे इसके लिए सुविधाजनक दिन और समय-निर्धारित किया जा सके।
8. यदि आवेदक भेजी गई सूचना/ सूचना न दिए जाने से असंतुष्ट है तो संबंधित जन-सूचना अधिकारी से उत्तर प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर

पहली अपील दायर कर संबंधित अपीलीय अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं।

अपीलीय अधिकारी के विवरण और पते के लिए यहां क्लिक करें आवेदक व्यक्तिगत रूप से भी सुनवाई के लिए उपस्थित रह सकते हैं, यदि अपीलीय अधिकारी द्वारा ऐसी सुनवाई निर्धारित की जाती है।

9. यदि आवेदक अपीलीय अधिकारी के निर्णय से भी संतुष्ट नहीं होता है तो वह पहले अपीलीय अधिकारी से निर्णय प्राप्त होने के 90 दिन के भीतर मुख्य सूचना आयुक्त, नई दिल्ली के समक्ष दूसरी अपील प्रस्तुत कर सकता है।
10. जो आवेदक गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं उन्हें सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत किसी प्रकार के आवेदन-शुल्क का भुगतान करना आवश्यक नहीं होगा। ऐसे व्यक्तियों को अपने आवेदन के साथ इसका प्रमाण संलग्न करना होगा।
11. जो आवेदक लिखना-पढ़ना नहीं जानते, उनके मौखिक अनुरोध को लिखने में जन-सूचना कार्यालय से सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। अन्य किसी जानकारी के लिए कृपया जन-सूचना कार्यालय से संपर्क करें।